*[प्राधिकृत अनुवाद]*

# हरियाणा विधान सभा

**2023 का विधेयक संख्या 21—एच०एल०ए०**

## हरियाणा विनियोग(संख्या 5) विधेयक, 2023

**मार्च, 2024 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए**

**विधेयक**

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2023—24 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹1290,07,09,133/— का दिया जाना।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर ₹1290,07,09,133/—(केवल एक हजार दो सौ नब्बे करोड़ सात लाख नौ हजार एक सौ तैंतीस रुपये) होती है, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2024 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2023—24 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी।

विनियोग।

3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2024 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं।

अनु

| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | मुख्य शीर्ष | राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों | | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान | संचित निधि पर प्रभारित | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ₹ | ₹ | ₹ |
| 3 | सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन | 2051—लोक सेवा आयोग | 50,68,00,000 | — | 50,68,00,000 |
| | | 2062—चौकसी | 1,00,000 | | 1,00,000 |
| | | 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 50,00,000 | — | 50,00,000 |
| | | | — | — | — |
| | | **कुल** | **51,19,00,000** | **—** | **51,19,00,000** |
| 4 | राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान | 2043—राज्यमाल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क | 1,00,000 | — | 1,00,000 |
| | | **कुल** | **1,00,000** | **—** | **1,00,000** |
| 5 | गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/ जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/ एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) | 2055—पुलिस | 1,00,000 | — | 1,00,000 |
| | | **कुल** | **1,00,000** | **—** | **1,00,000** |
| 6 | वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/ आयोजना तथा सांख्यिकी | 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन | 1,05,00,000 | — | 1,05,00,000 |
| | | 2075—विविध सामान्य सेवाएं | 2,49,82,865 | — | 2,49,82,865 |
| | | **कुल** | **3,54,82,865** | **—** | **3,54,82,865** |

सूची

| मुख्य शीर्ष | राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों | | जोड़ | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| पूंजीगत | विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान | संचित निधि पर प्रभारित | | राजस्व और पूंजीगत |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| | — | — | — | 50,68,00,000 |
| | — | — | — | 1,00,000 |
| | — | — | — | 50,00,000 |
| 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 6,39,41,268 | — | 6,39,41,268 | 6,39,41,268 |
| **कुल** | **6,39,41,268** | **—** | **6,39,41,268** | **57,58,41,268** |
| | — | | | 1,00,000 |
| | **—** | **—** | **—** | **1,00,000** |
| | — | — | — | 1,00,000 |
| | **—** | **—** | **—** | **1,00,000** |
| | — | — | — | 1,05,00,000 |
| | — | — | — | 2,49,82,865 |
| | **—** | **—** | **—** | **3,54,82,865** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ₹ | ₹ | ₹ |
| 10 | कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/ पशुपालन और डेयरी विकास/ मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण,वन एवं वन्य जीव | 2401–फसल कृषि कर्म | 286,61,65,000 | — | 286,61,65,000 |
| | | **कुल** | **286,61,65,000** | **—** | **286,61,65,000** |
| 12 | शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास | 2202–सामान्य शिक्षा | 17,07,00,000 | — | 17,07,00,000 |
| | | 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 41,16,72,000 | — | 41,16,72,000 |
| | | 2236–पोषण | 1,09,48,000 | — | 1,09,48,000 |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | **कुल** | **59,33,20,000** | **—** | **59,33,20,000** |
| 15 | श्रम/युवा सशक्ति करण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) | 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास | 1,00,000 | — | 1,00,000 |
| | | **कुल** | **1,00,000** | **—** | **1,00,000** |
| 17 | लोकनिर्माण (भवन व सड़कें)/परिवहन/ नागर विमानन | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 19 | ऊर्जा विभाग (विद्युत,नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएस एमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 2705–कमान क्षेत्र विकास | 200,00,00,000 | — | 200,00,00,000 |
| | | 2801–बिजली | 926,25,00,000 | — | 926,25,00,000 |
| | | **कुल** | **1126,25,00,000** | **—** | **1126,25,00,000** |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| | — | — | — | 286,61,65,000 |
| | **—** | **—** | **—** | **286,61,65,000** |
| | — | — | — | 17,07,00,000 |
| | — | — | — | 41,16,72,000 |
| | — | — | — | 1,09,48,000 |
| 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 24,72,00,000 | — | 24,72,00,000 | 24,72,00,000 |
| 6202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज | 50,00,00,000 | — | 50,00,00,000 | 50,00,00,000 |
| **कुल** | **74,72,00,000** | **—** | **74,72,00,000** | **134,05,20,000** |
| | — | — | — | 1,00,000 |
| | **—** | **—** | **—** | **1,00,000** |
| 5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | 172,44,00,000 | — | 172,44,00,000 | 172,44,00,000 |
| 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 49,45,00,000 | — | 49,45,00,000 | 49,45,00,000 |
| **कुल** | **221,89,00,000** | **—** | **221,89,00,000** | **221,89,00,000** |
| | — | — | — | 200,00,00,000 |
| | — | — | — | 926,25,00,000 |
| | **—** | **—** | **—** | **1126,25,00,000** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ₹ | ₹ | ₹ |
| 20 | नगर तथा ग्राम आयोजना / शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) / जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 2215—जलापूर्ति तथा सफ़ाई | 260,00,00,000 | — | 260,00,00,000 |
| | | 2217—शहरी विकास | 10,00,000 | — | 10,00,000 |
| | | **कुल** | **260,10,00,000** | **—** | **260,10,00,000** |
| | | **कुल जोड़** | **1787,06,67,865** | **—** | **1787,06,67,865** |

**नोटः—**

| क्रम संख्या | मद | (राशि रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1 | **अनुपूरक अनुमान 2023—24 (दूसरी किस्त)** | **2090,07,09,133** |
| 2 | मांग संख्या 20 के तहत उपलब्ध अप्रयुक्त राशि, मुख्य शीर्ष 4215— पूंजीगत योजना के तहत जल आपूर्ति और स्वच्छता अर्थात् पी—02—20—4215—01—102—98—99—16— आर—वी—त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति—एनआरडीडब्ल्यूपी कवरेज का नाम बदलकर जेजेएम कवरेज (राज्य का हिस्सा) | 800,00,00,000 |
| 3 | **बचत राशि का उपयोग :** | |
| | i. मांग संख्या 20 से मुख्य शीर्ष 2215—राजस्व (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 3 योजनाओं में) | 260,00,00,000 |
| | ii. मांग संख्या 19— मुख्य शीर्ष 2801— राजस्व (ऊर्जा विभाग की 2 योजनाओं में) विवरण पुस्तिका में दर्शाया गया है | 540,00,00,000 |
| 4 | **शुद्ध अनुपूरक राशि 2023—24 (दूसरी किस्त)** | **1290,07,09,133** |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| | — | — | — | 260,00,00,000 |
| | — | — | — | 10,00,000 |
| | **—** | **—** | **—** | **260,10,00,000** |
| **कुल जोड़** | **303,00,41,268** | **—** | **303,00,41,268** | **2090,07,09,133** |

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2023–24 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है ।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

---

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

*अवधेय:* उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

10779—H.V.S.—H.G.P., Pkl.